फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री हिमांशु त्रिवेदी निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास, आबू

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 40 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.03.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 10.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक.प17(6)नविवि/नियम/2021 जयपुर दिनांक 15.10.2025 को जारी कर मास्टर प्लॉन/मास्टर डेवलपमेंट प्लान के पैराफेरी बेल्ट/ग्रामीण क्षेत्र में सोलर एनर्जी एवं विंड एनर्जी परियोजना स्थापित करने हेतु भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होना बताया है। उक्त परिपत्र की छाया प्रति उपलब्ध करावें तथा नगर सुधार न्यास विभिन्न प्रकार के भूमि जोनों में शहरी विकास का प्रबंधन करता है जिनमें आवासीय जोन, वाणिज्यिक जोन, औद्योगिक जोन, संस्थागत जोन तथा हरित जोन सम्मिलित है। अतः उक्त परिपत्र नगर सुधार न्यास के कितने जोनों पर लागू है, उक्त से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 10.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक.प17(6)नविवि/नियम/2021 जयपुर दिनांक 15.10.2025 को जारी कर मास्टर प्लॉन/मास्टर डेवलपमेंट प्लान के पैराफेरी बेल्ट/ग्रामीण क्षेत्र में सोलर एनर्जी एवं विंड एनर्जी परियोजना स्थापित करने हेतु भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होना बताया है। उक्त परिपत्र की छाया प्रति उपलब्ध करावें तथा नगर सुधार न्यास विभिन्न प्रकार के भूमि जोनों में शहरी विकास का प्रबंधन करता है जिनमें आवासीय जोन, वाणिज्यिक जोन, औद्योगिक जोन, संस्थागत जोन तथा हरित जोन सम्मिलित है। अतः उक्त परिपत्र नगर सुधार न्यास के कितने जोनों पर लागू है, उक्त से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर सुधार न्यास, आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	